भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1738**

उत्तर देने की तारीख 27.12.2018

**जनजातियों का पुनर्वास**

1738. सरदार बलविंदर सिंह भुंडर :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्य-वार जनजातीय जनसंख्या क्या है;

(ख) उनकी रोजी रोटी और उचित पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार आदिवासी बल को उचित रोजगार मुहैया कराएगी, जिसका निष्पादन करने में वे सक्षम हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री जसंवतसिंह भाभोर)

(क) : जनगणना 2011 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जनसंख्या अनुलग्नक में दी गई हैं।

(ख) तथा (ग) **:** जनजातीयकार्य मंत्रालय जनजातीय उप-योजना को विशेष केद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) जो भारत सरकार की ओर से 100 प्रतिशत अनुदान है, स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, लघु सरंचना आदि के लिए सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को योगज प्रदान करते हुए संवेदनशील अंतरों को भरना है | यह स्कीम मांग आधारित है तथा राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और इस मंत्रालय में प्रयोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन तथा अनुमोदन के उपरांत उन्हें निधियां प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों को रोजगार-सह-आय सृजन के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं तथा जनजातीय सहकारिताओं, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और व्यक्तिगत उद्यमियों के प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि/वन/प्राकृतिक संसाधन आधारित लघु/ग्रामोद्योग की स्थापना; जनजातीय आभूषण, चित्रकला, नृत्य, संगीत तथा पाककला, ग्रामीण पर्यटन, पारिस्थितिकीय पर्यटन आदि जैसे परम्परागत जनजातीय संस्कृति क्षेत्रों में संवर्धन तथा कौशल विकास कार्यकलापों को कवर करती है।

इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 को अधिनियमित किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय रोजगार प्रदान करने के लिए जनजातीय लोगों की सुविधा हेतु निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित कर रहा है :-

(i) विभिन्न प्रकार की नौकरियों के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जनजाति के युवाओं के कौशल विकास हेतु जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्कीम।

(ii) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास।

(iii) जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन।

(iv) आय सृजनकारी कार्यकलाप करने के लिए अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों और समूहों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजातियों के स्व-रोजगार हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) द्वारा कार्यान्वित स्कीमें।

(v) जनजातीय लोगों, लघु वन उत्पाद (एमएफपी) संग्रहकर्ताओं तथा जनजातीय कारीगरों को कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) द्वारा किए गए कार्यकलाप।

(vi) अनुसूचित जनजातियों को रोजगार प्राप्त करना सुसाध्य बनाने के लिए पेशेवर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति स्कीमें।

इनके अलावा, सरकार ने जनजातीय जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने के लिए अन्य कदम भी उठाए हैं। कुछ प्रमुख पहलों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है: -

(i) महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

(ii) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई -एनआरएलएम) जिसका लक्ष्य जनजातीय लोगों सहित गरीब ग्रामीण के लिए कुशल तथा प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है जो उन्हें निरंतर आजीविका बढोत्तरियों और वित्तीय सेवाओं तक परिष्कृत पहुंच के माध्यम से परिवार की आय बढ़ाने के लिए सक्षम बनाता है

(iii) कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) जनजातीय समुदायों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), 2016-20 कार्यान्वित कर रहा है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक**

**अनुसूचित जनजाति (अजजा) की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार जनसंख्या**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** | **अजजा की जनसंख्या** |
|  | भारत | 10,45,45,716 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 26,31,145 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 9,51,821 |
| 3 | असम | 38,84,371 |
| 4 | बिहार | 13,36,573 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 78,22,902 |
| 6 | गोवा | 1,49,275 |
| 7 | गुजरात | 89,17,174 |
| 8 | हरियाणा | NST |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 3,92,126 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 14,93,299 |
| 11 | झारखण्ड | 86,45,042 |
| 12 | कर्नाटक | 42,48,987 |
| 13 | केरल | 4,84,839 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 1,53,16,784 |
| 15 | महाराष्ट्र | 1,05,10,213 |
| 16 | मणिपुर | 11,67,422 |
| 17 | मेघालय | 25,55,861 |
| 18 | मिजोरम | 10,36,115 |
| 19 | नगालैंड | 17,10,973 |
| 20 | ओडिशा | 95,90,756 |
| 21 | पंजाब | एनएसटी |
| 22 | राजस्थान | 92,38,534 |
| 23 | सिक्किम | 2,06,360 |
| 24 | तमिलनाडु | 7,94,697 |
| 25 | तेलंगाना | 3286928 |
| 26 | त्रिपुरा | 11,66,813 |
| 27 | उत्तराखण्ड | 2,91,903 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 11,34,273 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 52,96,953 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 28,530 |
| 31 | चंडीगढ़ | एनएसटी |
| 32 | दादरा और नगर हवेली | 1,78,564 |
| 33 | दमन और दीव | 15,363 |
| 34 | दिल्ली | एनएसटी |
| 35 | लक्षद्वीप | 61,120 |
| 36 | पुद्दुचेरी | एनएसटी |

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

               एनएसटी: कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं, जैसा कि 2011 में था।